झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद
हटिया मोड़, गोल्फ ग्राउण्ड रोड, हीरापुर , धनबाद – 826001
दूरभाष (0326) 222105, फैक्स (0326) 222104 / 2311842,
Website –www.jrda.inई मेल–info@jrda.in

दिनांक 18.12.2013 को उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. की अध्यक्षता में सम्पन्न जे.आर.डी.ए. के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
2. उप विकास आयुक्त–सह–परियोजना निदेशक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
3. प्रभारीपदाधिकारी (आर.एण्ड आर. एवं स्था.), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
4. मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
5. मुख्य प्रबंधक (वित्त), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
6. प्रभारी, भू–अर्जन जे.आर.डी.ए., धनबाद।
7. वरीय प्रबंधक, खनन, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
8. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद।
9. सहायक प्रबंधक (असैनिक)।

सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उपायुक्त ने बारी–बारी से सभी विषयों की निम्नलिखित रूप से समीक्षा कीः–

सर्वे कार्यः

उपायुक्त के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर०) ने सूचित किया कि 595 प्रभावित स्थलों में से 425 स्थलों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा 54,159 House Hold की संख्या की प्राप्ति हो गई है। अभी 170 Sites का सर्वेक्षण बाकी है जो प्रभावित परिवारों के विरोध के कारण सम्पन्न नहीं हो पा रहा है, हालाँकि इसके संबंध में कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि इसी सिलसिले में दिनांक 19.12.2013 को P.B. Area में Motivation Programme रखा गया है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि इस काम में तेजी लाई जाय।

सर्वेक्षण कार्य का Data base तैयार करने के संबंध में हुई प्रगति पर उपायुक्त के द्वारा निराशा जताई गई। उपायुक्त का कहना था कि इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी गंभीर नही दिख रहें हैं जो गलत बात है। उनके आदेश को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए।

उपायुक्त का पुनः आदेश हुआ कि प्रभारी पदाधिकारी एवं श्री आर०बी० राय, Whiz Mantra Educational Solution तथा Web Emision के लोगों से मिलकर दो–तीन दिनों के अंदर Data base तैयार करने के संबंध में ठोस कदम उठाऐं और इस काम में कितनी वित्तीय खर्च संभावित है इसका भी प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत करें।

उपायुक्त को बतलाया गया कि कार्यो में गति नहीं आने का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी है। आदेश हुआ कि दो लिपिक तथा दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जाये और तत्काल श्री आर०बी० राय को कम–से–कम तीन सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाये।

विचार–विमर्श के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि M/s Whiz Mantra Educational Solution को लगभग 19,000 परिवारों का सर्वेक्षण कार्य दिया था जो पूर्ण हो गया है एवं साथ में 6 माह की निर्धारित अवधि भी। चूँकि अभी 170 स्थलों का सर्वेक्षण कराना बाकी है इसलिए इसके लिए समय अवधि एवं परिवारों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति दी जा सकता है। उपायुक्त का इसे बोर्ड में रखने का आदेश हुआ।

भू–अर्जनः–

उपायुक्त को बतलाया गया कि ढ़ोखरा, आमागढ़ा, तिलाटॉड़ और मोहनपुर मौजा के लिए भू–अर्जन का प्रस्ताव है और ढ़ोखरा तथा तिलाटॉड़ में धारा '4' की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। उपायुक्त को यह भी सूचना दी गई कि मौजा ढ़ोखरा, आमागढ़ा और तिलाटॉड़ के लिए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के द्वारा 20 प्रतिशत राशि की माँग की गई है जिसके लिए संचिका उपस्थापन में है। वार्त्ता के क्रम में यह बात सामने आई कि ढ़ोखरा मौजा की जमीन का दर बहुत अधिक प्रतीत होता है इसलिए उपायुक्त का निदेश हुआ कि इस प्रस्ताव को रोक दिया जाये एवं भविष्य में प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर०) तथा प्रभारी भू–अर्जन मौजा भ्रमण कर भू–अर्जन का प्रस्ताव रखेंगे और भू–अर्जन का प्रस्ताव देने के पूर्व वहाँ के जमीन का मूल्य, लोगों का जमीन अधिग्रहण के प्रति विचार को ध्यान में रख कर ही प्रस्ताव दिया करेंगे। इस संबंध में एक अन्य आदेश पारित किया गया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पास जो राशि अभी शेष है इसका सामंजन आमागढ़ा आदि के लिए देय राशि से किया जाय।

उच्च विद्यालयः–

इस संबंध में उपायुक्त का आदेश हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को उच्च विद्यालय के संचालन के संबंध में एक पत्र दिया जाय कि यह उच्च विद्यालय कैसे चलेगा।

मार्केट कॉम्प्लेक्स में बैंक ऑफ इण्डिया को कमरा देने के संबंध में पत्र देने का निदेश हुआ। इसके लिए तीन रूपया प्रति वर्ग फुट के दर से मासिक किराया देय होगा। बाद में जब किराया नियंत्रक के द्वारा प्रमाण पत्र मिल जायेगा तो उनके अनुसार मासिक किराया लिया जायेगा।

एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदेश दिया गया कि निर्माणाधीन मंदिर, मस्जिद तथा पार्क के लिए स्थानीय लोगों की एक समिति बनाई जाय जो इसके संचालन के विषय में प्रस्ताव जे.आर.डी.ए. को समर्पित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

18/12/13

उपायुक्त, धनबाद
–सह–
प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।